भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- †*374

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2023

जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

†*374. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उन पर वास्तव मे कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) क्या ऐसी सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 27.03.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*374 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें शामिल हैं: -

(i) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जनजातीय बहुल ब्लॉकों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के (ईएमआरएस) की स्थापना कर रहा है। 2019-20 से, मंत्रालय द्वारा 353 ईएमआरएस को मंजूरी दी गई है और 185 स्कूलों को चालू कर दिया गया है।

(ii) जनजातीय गांवों के विकास में अंतराल की पूर्ति के लिए, 'आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' योजना को प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) में नया रूप दिया गया है। पीएमएएजीवाई का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा वाले 36428 गांवों को चरणबद्ध तरीके से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को पाटकर विकसित करना है। पीएमएएजीवाई के तहत पहचाने गए गांवों में अंतराल की संतृप्ति के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय / राज्य जनजातीय उप योजना / अनुसूचित जनजाति घटक निधि और उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों के रूप में संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 26 राज्यों को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर तक बढ़ाने के उद्देश्य से अनुदान जारी किया जाता है ।

(iv) पीवीटीजी वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास' योजना के तहत आवास विकास दृष्टिकोण को अपनाकर समुदाय की संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए व्यापक तरीके से पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(v) जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित (लागू) करना।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सालाना 30 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(vii) योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को मजबूत करना जैसा कि नीचे बताया गया है:

- योजनाओं की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए गए हैं।
- जीएफआर के मानदंडों के अनुसार निधियों को आगे जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर जोर दिया जाता है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने वाले अधिकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं।
- प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्तर पर समीक्षा बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
- प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए निधियां जारी करने और निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को एक एकल नोडल एजेंसी नामित करने की भी आवश्यकता है।

(viii) केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की योजनाओं के अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अनुसूचितजनजातियों के कल्याण और विकास के लिए आवंटन, निधियों के व्यय और प्रगति की समीक्षा करने औरडीएपीएसटी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए समय-समय पर डीएपीएसटी निधि वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में क्रियान्वित (लागू) कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी के तहत किए गए निधियों के आवंटन और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड रु. में)

वर्ष	**डीएपीएसटी आवंटन (ब.अ.)**	**डीएपीएसटी आवंटन (संअ.)**	**व्यय**
2019-20	51283.53	47748.83	45856.40
2020-21	52024.23	51780.82	48084.10
2021-22	78256.31	85930.47	82530.58

(घ): भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए जनगणना, प्रबंधन सूचना प्रणाली और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण से संबंधित डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में, अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के संबंध में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार दर्ज किए गए हैं, उदाहरण के लिए, अजजा के लिए साक्षरता दर 2011 में 59% (जनगणना) से बढ़कर 71.6% हो गई है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार (जुलाई 2020 - जून 2021)। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) उच्च प्राथमिक स्तर पर 91.3 (2013-14) से 98.0 (2021-22) में सुधार हुआ है, माध्यमिक स्तर (IX-X) पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जीईआर 70.2 (2013-14) से बढ़कर 78.1 (2021-22) हो गया है; वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर एसटी छात्रों के लिए जीईआर 35.4 (2013-14) से बढ़कर 52.0 (2021-22) हो गया है और उच्च शिक्षा स्तर पर अजजा छात्रों के लिए जीईआर 11.3 (2013-14) से बढ़कर 18.9 हो गया है (2020-21)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, शिशु मृत्यु दर 44.4 (2015-16) से घटकर 41.6 (2019-21) हो गई है; पांच वर्ष से कम आयु के तहत मृत्यु दर 57.2 (2015-16) से घटकर 50.3 (2019-21) हो गई है, और संस्थागत प्रसव 68% (2015-16) से बढ़कर 82.3% (2019-21) हो गया है। इसके अलावा, 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 55.8% (2015-16) से बढ़कर 76.8% (2019-21) हो गया है। पूर्व योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत 2004-05 में 62.3% से घटकर 2011-12 में 45.3% हो गया है।

अनुलग्नक

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी और डॉ. हीना विजयकुमार गावित द्वारा "जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति" के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*374 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) / प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) : जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य के बीच के गंभीर अंतर को पाटने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, लघु अवसंरचना आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के रूप में नया रूप दिया गया है।

मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए मिशन अंत्योदय डेटा का विश्लेषण किया है और पीएमएएजीवाई के तहत कवर किए जाने वाले 50% अ.ज.जा. आबादी और 500 अ.ज.जा. वाले 36,428 गांवों की पहचान की है। जनजातीय उप योजना आवंटन के आधार पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं को चिन्हित किया गया है। राज्यों को राज्य टीएसपी निधियों, जिला खनिज निधियों (डीएमएफ) और वित्त आयोग के अनुदानों से पूरक के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। पीएमएएजीवाई के तहत, प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतर दूर करने (गैप फिलिंग)' के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रूपये मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को निर्मुक्त किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। ये निधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक कार्यकलापों में अंतरों को पाटने के लिए अ.ज.जा. (एसटी) जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं।

(iii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: पीवीटीजी के विकास की योजना में शिक्षा, आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य नवीन गतिविधि जैसे कार्यकलापों के लिए 18 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी शामिल हैं।

(iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत, मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल (मोबाइल) औषधालयों, दस

या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रु. से अधिक नही होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए प्रति माह 225/- रु. और छात्रावासियों के लिए प्रति माह 525/- रु. एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर जिसके लिए निधि पोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न (तरीका) 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक संस्थानों द्वारा वसूल की गई अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह 230 रु. से 1200 रु. तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जहां केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता / परिवार की आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (टॉप क्लास) स्कीम (स्नातक स्तर): इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित 246 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति (अजजा) के उन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है, जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 6 लाख रु. से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन शुल्क, निर्वाह खर्च और पुस्तकों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: एम.फिल और पीएच.डी. के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(ix) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य

से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मिडिल (उच्च प्राथमिक) और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठा सकें और सरकारी एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकें। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 अजजा व्यक्तियों वाला प्रत्येक ब्लॉक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाने हैं। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालयों के समान होंगे और इनमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(x) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) : जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2011 से जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपजों के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (एमएफपी के लिए एमएसपी) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य अजजा एमएफपी संग्राहकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है।

मंत्रालय जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए ट्राइफेड और राज्य वन विकास निगमों (एसडीसी) को 100% अनुदान के साथ जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता नामक एक और योजना कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमजेवीएम की संकल्पना उपरोक्त दो योजनाओं अर्थात् 'एमएफपी के लिए एमएसपी' और 'जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' के विलय के साथ की गई है। पीएमजेवीएम अगले पांच वर्षों में गुणवत्ता इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण और बेहतर विपणन पहुंच आदि के माध्यम से आजीविका संचालित जनजातीय विकास प्राप्त करना चाहता है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता : मंत्रालय, जहाँ टीआरआई नहीं हैं वहां टीआरआई स्थापित करने और अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत के संवर्धन आदि के प्रति अपने मुख्य उत्तरदायित्व को निभाने के लिए विद्यमान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, अनुसंधान और प्रलेखन, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातीय लोगों द्वारा राज्य के अन्य भागों में एक्सचेंज विजिट (आदान-प्रदान यात्राओं) जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम, से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर शीर्ष (एपेक्स) समिति के अनुमोदन से 100% वित्त पोषण अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई, बजटीय आवश्यकता के साथ समस्त वर्ष के लिए प्रस्ताव और विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हैं और इसे राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। टीआरआई व्यवस्था (सेट) के भीतर, सांस्कृतिक संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान विंग आदि हैं।

(xii) जनजातीय त्योहार, अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा: इस योजना के माध्यम से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन पर ध्यान दिया जाता है

जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और चित्र प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म बनाना, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालते हुए तत्संबंधी प्रकाशनों को प्रकाशित करना, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतरालों पर अन्य विज्ञापनों आदि के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य विभागों की उपलब्धियां शामिल हैं। जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतरों को पाटने के दृष्टिकोण से, जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को जहां विशेषज्ञ मौजूद हैं और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय संस्कृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में अग्रणी शोध को आगे बढ़ाते हुए एक पहचान बनाई है, मान्यता देता है। यह परिकल्पना की गई है कि सीओई को मंत्रालय की समर्पित गतिविधियों के पूरक के रुप में ज्ञान-बैंक (नॉलेज बैंक) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

*****